केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली - 110032

सं.सी-27013/01/2014 -हिन्दी 221 दिनांक: 18.07.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 81वीं बैठक के कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 81वीं बैठक अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2017 को "परिवेश भवन" के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची इसके साथ संलग्न है। अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ, उनकी टिप्पणी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जा रहे हैं।

इस संदर्भ में समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

18/7/17

(ओमदास)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

....

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, नई दिल्ली-110003
2. उप-निदेशक (कार्या.), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली . 110023
3. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,एक्स.वाई. 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली- 23
4. अध्यक्ष के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, आई.टी.प्रभाग - कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(ओमदास)
सहायक निदेशक (रा.भा.)

केन्द्रीय बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.06.2017 को आयोजित 81वीं बैठक के कार्यवृत्त

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 81वीं बैठक दिनांक 28.06.2017 को दोपहर 12.00 बजे अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में परिवेश भवन के द्वितीय तल पर स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि, उपनिदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली और महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, सरोजनी नगर, नई दिल्ली को बैठक में भाग लेने का अनुरोध पत्र भेजा गया था। किंतु इन तीनों को छोड़कर 24 सदस्य इस बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध के रूप में इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न है।

समिति के सदस्य संयोजक ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनंदन किया और इसी के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्य सचिव महोदय का भी स्वागत किया गया। इसके बाद सदस्य संयोजक ने अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी। फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात बैठक की कार्यसूची के अनुसार मदवार चर्चा शुरू की गई:

मद सं. 01: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्य संयोजक ने समिति को अवगत कराया कि समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं संबंधितों को उनकी टिप्पणी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित किए गए थे। कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अत: विगत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली जाए। फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय ने सदस्य संयोजक की अनुशंसा पर और सभी सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी।

मद सं. 02: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

सदस्य संयोजक द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पत्राचार बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। गत तिमाही में हमारा पत्राचार 72 प्रतिशत था, जो शतप्रतिशत के लक्ष्य से पीछे है। पत्राचार बढ़ाने के लिए सभी प्रभाग प्रभारियों से अनुरोध किया गया था कि वे अपना अधिकांश सरकारी काम-काज हिन्दी में ही करें और व्यक्तिशः आदेशों, पत्रों में विनिर्दिष्ट कार्यों को हिन्दी में करना सुनिश्चित करें। सभी प्रभाग प्रभारियों एवं बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से केवल 02 प्रतिशत की वृद्धि ही हो पाई है।

उक्त अवधि में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 01 बैठक और केन्द्रीय बोर्ड के 25 कर्मचारियों के लिए 01 हिन्दी कार्यशाला के आयोजित होने की सूचना भी समिति को दी गई। अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभाग प्रभारियों को 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में पत्राचार के नियम का पालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। साथ ही साथ हिन्दी अनुभाग को भी इसी विषय में समुचित कदम उठाने को कहा।

- अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग प्रभारी एवं हिन्दी अनुभाग

मद सं. 4 : संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के नौवे खंड में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई।

सदस्य संयोजक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संसदीय राजभाषा समिति की नौवे खंड की सिफारिश 02 जून, 2011 को महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट पर महामहिम राष्ट्रपति जी का आदेश दिनांक 31 मार्च, 2017 को संकल्प के रूप में जारी किया गया है। श्री प्रभास कुमार झा, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि समिति की इन सिफारिशों के आधार पर राजभाषा के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश का कार्यान्वयन अपने कार्यालय में सुनिश्चित किया जाए। इसी के अनुक्रम में श्री बृजभान , उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों में महामहिम राष्ट्रपति जी के इन आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

इस विषय में अध्यक्ष महोदय से इन सिफारिशों को समिति के समक्ष विस्तार से प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई। अध्यक्ष महोदय ने सदस्य संयोजक से पूछा कि क्या ये सभी सिफारिशें केन्द्रीय बोर्ड पर लागू होती हैं। उन्हें अवगत कराया गया कि ये सिफारिशें भारत सरकार के सभी कार्यालयों के लिए सामूहिक रूप से तैयार की गई हैं। इनमें से संबंधित कार्यालयों को अपने यहां लागू की जाने वाली सिफारिशों को इससे अलग कर लागू करना है। इस क्रम में अध्यक्ष महोदय ने इनमें से बोर्ड में लागू की जाने वाली सिफारिशों का एक ज्ञापन तैयार कर सभी प्रभाग प्रभारियों की सूचना एवं इन्हें अपने प्रभाग/अनुभाग में कार्यान्वित करने हेतु परिचालित करने का निदेश दिया।

- अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग प्रभारी एवं हिन्दी अनुभाग

इसी मुद्दे पर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि मंत्रालय से पदों की स्वीकृति प्राप्त होने तक 02 हिन्दी अनुवादक और 01 आशुलिपिक वाह्य स्रोत से उपलब्ध कराने का निर्णय गत बैठकों में लिया गया था। किंतु अभी तक 02 हिन्दी अनुवादक और 01 आशुलिपिक भर्ती अनुभाग से उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। समिति को अवगत कराया गया कि हिन्दी अनुभाग में काम-काज बहुत बढ़ गया है। हिन्दी अनुभाग में स्टॉफ की बहुत कमी होने से समय पर कार्यों का निष्पादन करने में बहुत कठिनाई आ रही है। इसलिए इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी से पूछा कि उनके सहमति के बावजूद भी हिन्दी अनुभाग को 02 हिन्दी अनुवादक और 01 आशुलिपिक उपलब्ध कराने में क्या कठिनाई है? वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी ने अवगत कराया कि वाह्य स्रोत से 17000/-रू. पारिश्रमिक तक के ही कर्मचारी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक की योग्यता और वेतनमान अधिक है। इसलिए वाह्य स्रोत से कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनी इस दायरे से बाहर है। इसके साथ-साथ अच्छे अनुवादक भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी बीच सदस्य सचिव ने सदस्य संयोजक से पूछा कि अच्छे अनुवादक कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। उन्हें अवगत कराया गया कि भारतीय अनुवाद परिषद, नई दिल्ली, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, भारत सरकार, दिल्ली विश्वविद्यालय का रोजगार कार्यालय आदि अन्य संस्थाओं से अनुरोध कर अनुवादक मांगे जा सकते हैं।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी की बात सुनने के पश्चात प्रशासन अनुभाग (भर्ती) को अविलंब 02 कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक व 01 आशुलिपिक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

- अनुवर्ती कार्यवाही - भर्ती अनुभाग

मद सं. 7 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

सदस्य संयोजक ने अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से समिति को अवगत कराया कि आगामी बैठक के आयोजन से पहले विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 02 वरिष्ठतम सदस्य श्री जे.एस. कम्योत्रा, निदेशक एवं डॉ. ए.बी. अकोलकर, सदस्य सचिव 31 अगस्त, 2017 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। समिति के गठन से लेकर आज तक इन दोनों सदस्यों का राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के मामले में बहुत अच्छा योगदान रहा। इन दोनों सदस्यों ने समिति के सदस्य संयोजक को हमेशा सहयोग प्रदान किया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने आगामी बैठक की अगली तिथि की जानकारी मांगी। उन्हें अवगत कराया गया कि आगामी बैठक सितंबर, 2017 में आयोजित होगी।

उन्होंने इस बैठक को अगस्त, 2017 माह में करने का आदेश दिया। किंतु उन्हें अवगत कराया गया कि 31 जुलाई, 2017 को सदस्य संयोजक भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय बोर्ड की दिनांक 28.06.2017 को आयोजित 81वीं बैठक में उपस्थित सदस्य

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
1.	गुरनाम सिंह	[signature]
2.	विजय प्रकाश [illegible]	[signature]
3.	शीतल प्रसाद	[signature]
4.	मोहन कपूर	[signature]
5.	जुगेश कुमार	[signature]
6.	एम.एम. मोहनन	[signature]
7.	चन्द्रशेखर शर्मा	[signature]
8.	वीरेन्द्र कुमार जखमोला	[signature]
9.	पी. सुधाकर	[signature] 28/06/17
10.	मधुसूदनन	[signature]
11.	मीता शर्मा	[signature]
12.	नलिन कुमार गुप्ता	[signature]
13.	राजेन्द्र मोहन भारद्वाज	[signature]
14.	प्रशान्त भार्गव	[signature]
15.	नाजिमुद्दीन	[signature]
16.	दीपा चौधरी	[signature]
17.	यतीन्द्र नाथ मिश्र	[signature]
18.	पी. गणेश	[signature]
19.	एम. के. विश्वास	[signature]
20.	आनन्द कुमार	[signature]
21.	संजीव अग्रवाल	[signature]
22.	मीना (सामाजिक) [illegible]	[signature]
23.	एम. के. चौधरी	[signature]
24.	राम दत्त पाण्डे	[signature]
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		